Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 26-07-2006

Participants : Meghwal Shri Kailash

an>

Title : Need to release the balance share of water for Rajasthan from Ravi and Beas rivers to Rajasthan.

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक) : महोदया, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हरियाणा राज्य का गठन होने के बाद कई बार की गई बैठकों के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.1981 को मानीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के अधिकाय जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. निर्धारित किया गया, जो कि अधिकाय जल का 52.70 प्रतिशत है। उस समय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रारम्भिक अवस्था में थी तथा राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं था। इस बात को दृटिगत रखते हुए समझौते में यह प्रावधान रखा गया कि "जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता है, तब तक पंजाब राजस्थान के अधिकाय हिस्से के पानी को उपयोग में ले सकेगा।"

तदन्तर इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वाों से अपने सम्पूर्ण हिस्से का उपयोग करने की स्थिति में है। राजस्थान ने अपने हिस्से के 8 एम.ए.एफ. जल की प्राप्ति के साथ ही अपने हिस्से के शेा 0.6 एम.ए.एफ. को लौटाने के लिए केन्द्र सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबन्धन मंडल को कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है।

अतः भारत सरकार को राजस्थान के शेा 0.6 एम.ए.एफ. जल को वापस लौटाने के लिए पंजाब सरकार व भाखड़ा व्यास प्रबन्धन मंडल को तत्काल निर्देश देने चाहिए।